न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

आर0एम0ए0 वाद सं0–18 / 2011

आनन्द सोरेन वगैरह

वनाम

डाक्टर सोरेन वगैरह

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

17.01.2023

आदेश

यह अपीलवाद, अपीलकर्त्ता (1) आनन्द सोरेन (2) विनय सोरेन एवं (3) लाल सोरेन तीनो का पिता–स्व0 चुण्डा सोरेन, सा0–बड़बील्ला, थाना–पाकुडिया, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड के न्यायालय के आर0ई0आर0 वाद सं0–22 / 2007–08 में दिनांक–18.08.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। इस वाद में (1) डाक्टर सोरेन, पिता–तानु सोरेन (2) चुण्डा सोरेन, पिता–डुगु सोरेन (3) जयदेव सोरेन, पिता–मंडल सोरेन एवं (4) होपना सोरेन, पिता–डुगू सोरेन, सभी का सा0–बनडींगा, थाना–पाकुडिया, जिला–पाकुड़ को पक्षकार बनाते हुए दाखिल किया गया है।

मामला संक्षेप में यह है कि इस वाद के उत्तरवादीगण द्वारा अंचल पाकुड़िया के मौजा–बनडीगा नं0–92 के जमाबंदी सं0–19, मौजा–बड़बील्ला नं0–91 के जमाबंदी सं0–20 एवं मौजा–चड़काडांगा नं0–89 के जमाबंदी सं0–40 अन्तर्गत विभिन्न दागो की भूमि से चुण्डा सोरेन, पिता–मंडल सोरेन (इस वाद के अपीलकर्त्ता के पिता), (2) अनंता सोरेन (3) बीनाम सोरेन (4) लाल सोरेन एवं (5) सामुएल सोरेन, (2) से (5) तक का पिता–चुण्डा सोरेन सा0–बड़बील्ला को उच्छेद करने हेतु निम्न न्यायालय में आवेदन दाखिल किया गया। दाखिल आवेदन पर निम्न न्यायालय द्वारा आर0ई0आर0 वाद सं0–22 / 2007–08 संस्थित करते हुए सुनवाई की गई एवं दिनांक–18.08.2011 को पारित आदेश द्वारा इस वाद के अपीलकर्त्तागण को प्रश्नगत जमाबंदी की भूमि से SPT Act 1949 की धारा 42 के तहत उच्छेद किया गया। यह अपील वाद निम्न न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत बहस को विस्तार से सुना गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा–बड़बील्ला के जमाबंदी सं0–20 एवं मौजा–चड़काडांगा का जमाबंदी सं0–40 विगत सर्वे खतियान में सिदो सोरेन, पिता–दसमत सोरेन के नाम से दर्ज है। मौजा–बनडीगा का जमाबंदी सं0–19 विगत सर्वे खतियान में सीदो सोरेन एवं अरसु सोरेन, पिता–स्व0 कलाचंद सोरेन के नाम

Scanned by CamScanner

क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

से दर्ज है। जमाबंदी सं0–19 यद्धपि संयुक्त रूप से है, परन्तु सभी खतियानी रैयतों का दखल अलग–अलग दर्शाया गया है। इस तरह जमाबंदी सं0–19 में सिदो सोरेन, पिता–दसमत सोरेन को उनके हिस्से की 02–18–01 धुर जमीन प्राप्त हुई। खतियानी रैयत सिदो सोरेन, पिता–दसमत सोरेन की वंशावली निम्नवत् बताया गया :–

दसमत सोरेन
↓
सिदो सोरेन
(RT of JB No-20, 19 &40) of Mouza Barbilla, Bondiga & Charkadanga
↓
मुंडली सोरेन उर्फ नगीना सोरेन (पुत्री)
↓ घरजमाई शादी, पति–भागमत मुर्मू
चेलको मुर्मू (पुत्री)
↓ घरजमाई शादी, पति–मंडल सोरेन
चुण्डा सोरेन (मृत)
↓
आनन्द सोरेन | बिनय सोरेन | लाल सोरेन | सामुएल सोरेन

उनका आगे कहना है कि खतियानी रैयत सिदो सोरेन की एक मात्र पुत्री मुंडली सोरेन उर्फ नगीना सोरेन हुई, जिसकी शादी घरजमाई रीति से की गई। उक्त मुंडली सोरेन की भी एक मात्र पुत्री चेलको मुर्मू हुई जिसकी शादी घरजमाई रीति से मंडल सोरेन के साथ की गई। उनके द्वारा सिदो सोरेन की सम्पति का भोग दखल किया जाने लगा। उनकी मृत्यू मौजा बड़बील्ला में हो गई। चेलकों मुर्मू एवं मंडल सोरेन के एकमात्र पुत्र चुण्डा सोरेन हुए। चुण्डा सोरेन द्वारा खतियानी रैयत सिदो सोरेन की सम्पति का भोग दखल किया जाता रहा। चुण्डा सोरेन के चार पुत्र आनन्द सोरेन, बिनय सोरेन, लाल सोरेन (अपीलकर्त्तागण) एवं सामुएल सोरेन है। वर्तमान में प्रश्नगत भूमि का भोग दखल उक्त चारो भाईयों द्वारा किया जा रहा है। उत्तरवादी का यह दावा कि सिदो सोरेन की मृत्यू नावल्द हुई थी बिल्कुल गलत, मनगढंत एवं आधारहीन है। अंचल अधिकारी, पाकुडिया का प्रतिवेदन पूर्णतः गलत एवं तथ्यों के विपरीत है। अंचल अधिकारी द्वारा जहॉ एक ओर सिदो सोरेन को नावल्द मृत बताया गया है वही दूसरी ओर सिदो सोरेन की वंशावली निर्गत की गई है, जिसमें अपीलकर्त्तागण को उनका वंशज माना है। अतः अंचल अधिकारी के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश गलत है। उनका आगे कहना है कि उत्तरवादी का यह दावा है कि मौजा–बडबील्ला के जमाबंदी सं0–15 की भूमि अपीलकर्त्ता द्वारा दखल–भोग किया जा रहा है। उक्त जमाबंदी की भूमि राइमत टुडू एवं मनी टुडू की थी। मनी टुडू की नावल्द

Scanned by CamScanner

की कम और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

मृत्यु हो जाने के कारण जमाबंदी सं0–15 की भूमि राइमत टुडू की हो गई। उक्त राइमत टुडू की शादी सिदो सोरेन के साथ साधारण रीति से हुई। दोनो मौजा बड़बील्ला के जमाबंदी रैयत थे। राइमत टुडू की मृत्यु होने के बाद उसकी सम्पति सिदो सोरेन के वंशज दखल–भोग करते आ रहे है।

उनका आगे कहना है कि यह मामला स्वत्व, हक, अधिकार तथा Succession और Inheritance का है। अपीलकर्त्ता का यह दावा है कि वे खतियानी रैयत सिदो सोरेन, पिता–दसमत सोरेन के वंशज एवं उत्तरधिकारी है। उत्तरवादी का यह दावा कि सिदो सोरेन की मृत्म्यु नावल्द हुई थी, बिल्कुल गलत है। स्वत्व, हक, उत्तराधिकारी संबंधी मामलों में राजस्व न्यायालय निर्णय नही दे सकते है। यहाँ SPT Act 1949 की धारा 20 का भी उल्लंधन नही हुआ है क्यों कि अपीलकर्त्ता खतियानी रैयत सिदो सोरेन के वैद्य उत्तराधिकारी है। प्रश्नगत जमाबंदी का लगान उनके द्वारा अदा किया जाता रहा है तथा ग्राम प्रधान द्वारा उन्हें प्रश्नगत जमाबंदी का उत्तराधिकारी मानते हुए लगान रसीद निर्गत किया जाता रहा है। उनके द्वारा अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा बनडीगा नं0–92 का जमाबंदी सं0–19 विगत सर्वे खतियान में विक्रम सोरेन, पिता–सिदो सोरेन, सिदो सोरेन, पिता–दसमत सोरेन एवं आरसू सोरेन, पिता–कालाचांद सोरेन कहकर दर्ज है। जबकि मौजा बड़बील्ला नं0–91 का जमाबंदी सं0–20 एवं मौजा–चड़काडांगा नं0–89 का जमाबंदी सं0–40 खतियान में सिदो सोरेन, पिता–दशमत सोरेन कहकर दर्ज है। उक्त तीनों जमाबंदी की जमीन को अपीलकर्त्ता द्वारा अवैध तरीके से दो साल पूर्व से दखल–कब्जा कर किया गया। फलस्वरूप उत्तरवादियों के द्वारा निम्न न्यायालय में उच्छेदी वाद दायर किया गया। अंचल अधिकारी, पाकुड़िया के जॉच प्रतिवेदन में खतियानी रैयत सिदो सोरेन, पिता–दसमत सोरेन को नावल्द मृत बताया गया है। अपीलकर्त्तागण का खतियानी रैयत सिदो सोरेन से कोई संबंध नही है। उनके द्वारा गलत वंशावली बनाकर प्रश्नगत भूमि का स्वयं को उत्तराधिकारी बताते हुए उसे हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। उनका आगे कहना है कि अपीलकर्त्तागण का संबंध मौजा बडबील्ला के जमाबंदी सं0–15 से है। जमाबंदी सं0–15 के खतियानी रैयत राइमत टुडू थी, जिसकी शादी सिदो सोरेन, पिता–चुण्डा सोरेन के साथ घरजमाई रीति से हुई थी। अपीलकर्त्तागण उक्त सिदो सोरेन, पिता–चुण्डा सोरेन के वंशज है न कि सिदो सोरेन,

Scanned by CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

पिता–दसमत सोरेन के। उनके द्वारा सेटेलमेंट ऑब्जेक्शन वाद सं0–27/1909 का हवाला देते हुए कहा कि उक्त वाद के उत्तरवादी रसिक मांझी द्वारा 17.04.1909 के अपने गवाही में यह बयान दिया गया है कि "मैंने छोटा सिदो मांझी, पिता–स्व0 चुण्डा मांझी, सा0–बनडीगा, थाना–पाकुड़िया को अपनी पुत्री राईमत मांझियाईन के लिए घरजमाई के रूप में लाया हूँ।" उक्त आधार पर उत्तरवादी का ये कहना है कि अपीलकर्त्तागण सिदो सोरेन, पिता–चुण्डा सोरेन के वंशज है। प्रश्नगत जमाबंदी के खतियानी रैयत सिदो सोरेन, पिता–दसमत सोरेन की नावल्द मृत्यु हुई है। उनके द्वारा न्यायालय के आदेश को सही बताते हुए इसे बरकरार रखने एवं अपील आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया गया।

संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपीलकर्त्ता का दावा है कि वे प्रश्नगत जमाबंदी सं0–19, 20 एवं 40 के खतियानी रैयत सिदो सोरेन, पिता–दसमत सोरेन के वंशज है तथा मौजा–बड़बिल्ला में रहते है। जबकि उत्तरवादी का दावा है कि अपीलकर्त्ता मौजा–बड़बिल्ला के जमाबंदी सं0–15 के खतियानी रैयत राइमत टुडू, पति–सिदो सोरेन, पिता–चुण्डा सोरेन के वंशज है। उत्तरवादी का यह दावा सेटेलमेंट ऑब्जेक्शन वाद सं0–27/1909 में उत्तरवादी रासका मांझी के द्वारा दिनांक–17.04.1909 को दिए गए गवाही के आधार पर किया गया है। उक्त गवाही (Deposition) से प्रतीत होता है कि रसका मांझी द्वारा छोटा सिदो मांझी, पिता–स्व0 चुण्डा मांझी, सा0–बनडीगा, थाना–पाकुड़िया को पुत्री राइमत मांझियन के लिए घरजमाई लाया गया था। यहां बनडीगा के छोटा सिदो मांझी पिता–चुण्डा मांझी का उल्लेख है। उत्तरवादी क्रमबद्ध तरीके से अपीलकर्त्ता का उक्त छोटा सिदो मांझी से संबंध स्थापित करने में पूरी तरह असफल रहें है। उत्तरवादी द्वारा मौजा बड़बिल्ला नं0–91 के निर्वाचक सूची (वर्ष 1975) की प्रति दाखिल कर यह सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि अपीलकर्त्तागण राइमत टुडू पति–छोटा सिदो मांझी के वंशज है। परन्तु उक्त निर्वाचक सूची से यह कहीं प्रमाणित नही होता है कि अपीलकर्त्ता जमाबंदी सं0–15 के खतियानी रैयत राइमत टुडू के वंशज है। इसके विपरीत अपीलकर्त्ता का यह दावा है कि उक्त राइमत टुडू की साधारण तरीके से शादी सिदो सोरेन, पिता–दसमत सोरेन के साथ हुई थी एवं अपीलकर्त्ता इनके वंशज है। अंचल अधिकारी, पाकुड़िया के जॉच प्रतिवेदन (पत्रांक–325/रा0, दिनांक–07.06.2008) एवं वंशावली प्रमाण पत्र सं0–27/रा0, दिनांक–16.12.2008 में अंकित वंशावली विरोधाभाषी है। निर्वाचक सूची में अंकित नाम

Scanned by CamScanner

ी कम और ख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

वंशावली प्रमाण पत्र में अंकित नामों से लगभग मेल खाता है। केवल इसमें सिदो सोरेन का नाम अंकित नही है। मौजा बड़बील्ला, बनडीगा एवं चड़काडांगा के ग्राम प्रधानों द्वारा दाखिल शपथ पत्र में भी अपीलकर्त्ता के वंशावली को प्रमाणित किया गया है। अपीलकर्त्ता द्वारा दिनांक–24.01.1941 को निष्पादित घरजमाईनामा पत्र से भी यह ज्ञात होता है कि सिदो सोरेन की पुत्री नगीना सोरेन के द्वारा अपनी एक मात्र पुत्री चेल्को मुर्मू के लिए मंडल सोरेन, पिता–गोपाल सोरेन को घरजमाई लाया गया था। अपीलकर्त्ता द्वारा प्रश्नगत जमाबंदी सं0–19, 20 एवं 40 का दाखिल लगान रसीद से स्पष्ट है कि उक्त मौजा के ग्राम प्रधान द्वारा अपीलकर्त्तागण को प्रश्नगत जमाबंदी का उत्तराधिकारी मानते हुए लगान रसीद निर्गत किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा इतने जटील विषय पर उपरोक्त बिन्दुओं पर कोई विवेचना नही की गई है। रसका टुडू का Deposition वर्ष 1909 का है। राइमत की शादी का वर्ष यदि 1909 ही माना जाए तो विगत सर्वे (वर्ष 1932) में उनके पति का नाम खतियान में क्यों नही दर्ज हुआ। खतियान में राईमत टुडू व मनी टुडू, पिता–रसिक टुडू दर्ज है।

अभिलेख में ऐसा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नही है जो बिना किसी शंका के यह प्रमाणित कर सके कि अपीलकर्त्तागण सिदो सोरेन, पिता–दसमत सोरेन के वंशज नहीं है और न ही उत्तरवादी यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित कर सके है कि अपीलकर्त्ता छोटो सिदो मांझी, पिता–चुण्डा मांझी के वंशज है। ऐसी स्थिति में उच्छेदी का आदेश पारित करना उचित नही है, अतः निम्न न्यायालय के आदेश को त्रुटिपूर्ण पाते हुए इसे निरस्त (Set-aside) किया जाता है। साथ ही यह वाद इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षों को Fresh notice निर्गत कर सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए तथ्यों की गहन विवेचना के उपरान्त तर्कसंगत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ पा यु क्त,
पाकुड।

उ पा यु क्त,
पाकुड।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.03.27 15:39:33 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:8fd:284e:3557:aac1

Scanned by CamScanner